

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉसी  
अन्तरण प्राप्तिसंख्या— सन् 2021  
चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी

बनाम

सरकार उपराज्यपाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 408 द०प्र०स०

धारा— अज्ञात

थाना— अज्ञात

जिला झॉसी

मुन०— अज्ञात

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०— 14 झॉसी द्वारा एक सम्मन बतौर अभियुक्त मुझे भेजा गया है जिसमें न तो मुकदमा नम्बर है न ही धारा व न ही थाना अंकित है। जिसके सम्बन्ध में अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः—

- 1— यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिकायतें की गयी हैं।
- 2— यहकि कुछ मुकदमों में मेरे पक्षकारों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और महोदय को शिकायतें की गयी हैं।
- 3— यहकि अन्तरण प्रार्थनापत्रों में पक्षकारों की ओर से मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4— यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझसे व्यक्तिगत द्वेष मानते हैं।
- 5— यहकि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैंने जानबूझकर दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मैं इस प्रकरण में वारण्ट जारी करूँगा। क्योंकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा है।
- 6— यहकि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा पहला सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है।
- 7— यहकि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०— 14 से अन्तरित नहीं किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेंगे।

प्रार्थना

अतः महोदयाजी से न्यायहित में प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण जिसमें सम्मन की छायाप्रति साथ में संलग्न है को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक—16.12.2021

भवदीय  
*(चन्द्रशेखर शुक्ला)*  
(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

सी० जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्पर्क

नाम : श्री राजेन्द्र प्रसाद ( राजेन्द्र )  
 पता : अस्सी बाजार, एसोसिएट  
 नं. ३५८ रोड नं. १००  
 वास्तविक संपर्क संख्या : ०१०-२३३५५५५

दर्ता देखा

मेरी वास्तविक संपर्क संख्या उपरोक्त के समान

मुद्रा नं. २१ को मुद्रा १०

मेरी वास्तविक संपर्क संख्या में बदली न हो।

श्री राजेन्द्र प्रसाद

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्पर्क

नामांकन : १०३ F-८८ नं. ६. C. ३१०८  
 पाता : अस्सी बाजार, एसोसिएट  
 नं. ३५८ रोड नं. १०० ( राजेन्द्र )  
 वास्तविक संपर्क संख्या : ०१०-२३३५५५५

धूमिक आपकी संपर्किति वास्तविक अभियुक्त

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय चलाकी के

दिनांक २४.१२.२१

मेरी संपर्किति हो रेता करने के लिए इसके

आज दिनांक ३०.१२.२१



प्रेषक ( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय : चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या निल सन 2021 पर  
पारिता आदेश दिनांक 18. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र के साथ कोई शपथपत्र संलग्न नहीं है ।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में तोड़ फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को वर्ष 2010 में दी गयी थी और उक्त मामले में विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर शुक्ला जेल में निरुद्ध भी रहा था और उसके विरुद्ध लगभग 58 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में न्यायालय द्वारा उक्त विद्वान अधिवक्ता दोषसिद्ध भी हो चुका है ।

अतः निवेदन है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र की छायाप्रति प्रदान कराने की कृपा करें जिससे अन्तरण प्रार्थनापत्र के बावजूद आख्या प्रस्तुत कर सकूँ ।

भवदीय

  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ;

दिनांक: 20.12.2021



copy or order 21/12/21  
det copy of all file  
papers to be sent by  
Mr. Virendra Singh  
immediately if not  
furnish tomorrow off 11.00 AM  
it is made clear that it shall be  
done by 11.00 AM  
in modified time  
and spirit  
21/12/21  
copy or order forwarded to ADD FRC 14<sup>th</sup> F.C.  
for information & Necessary Action  
In case 5 work of  
Application along with all documents & files

Copy or order forwarded to... ADD FRC 14<sup>th</sup> F.C.  
for information & Necessary Action

By Order  
  
Sadar Mansoori / Sessions Clerk  
Sessions Judge  
Jhansi (U.P.)

12/21

Recd  
17/12/21  
11:5 AM

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन


नामांकन क्रमांक १०८५४६३०७२  
नाम - राजेश लक्ष्मण शर्मा (एसीपीडी )  
दर्जे की तारीख २५/१२/२१ (वर्ष २०२१)  
धूक आपकी उत्तमता को प्रशंसा करता है।

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

नामांकन क्रमांक १०८५४६३०८८८  
नाम - राजेश लक्ष्मण शर्मा (एसीपीडी )  
दर्जे की तारीख २५/१२/२१ (वर्ष २०२१)  
धूक आपकी उत्तमता को प्रशंसा करता है।

अनिवार्य है कि आप अपने न्यायालय उपरोक्त के समक्ष  
दिनांक २५/१२/२१ को सुबह १०

सब उपस्थिति से देख करने में जुटि न हो।



मुझे  
ज्ञानकोष दें।  
कृपया।  
12/22

मेरी भागी प्रसाद

(१२/२२)

विश्राम कक्षः

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक: 20. 12. 2021

नोटिस

बनाम

1. खुशनुमा कनिष्ठ सहायक

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।

विषय :फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट CJM कोर्ट परिसर झाँसी में अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध जारी सम्मन के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि उक्त वाद के अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को एक शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में उसके विरुद्ध जो सम्मन जारी हुआ है उसमें न तो मुकदमा नं० है, न ही धारा और न ही थाना अंकित है।

अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने जारी सम्मन की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें सफेदा लगा हुआ है जिसे मैंने लाल धेरे से अंकित किया है जिस पर प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद की यह आख्या अंकित है कि "सफेदा लगी छायाप्रति है"।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर न्यायालय में तोड़-फोड़ करने का गंभीर अपराध पंजीकृत है। अभियुक्त के उक्त कृत्य के बावत तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार सूचना दी गयी थी। अभियुक्त का उक्त मुकदमा इसी जनपद न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट झाँसी का टाप 10 अपराधियों में सुमार है। मेरे द्वारा उक्त अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध पर नन्दनी खटीक महिला द्वारा बलात्कार करने के बावत दिनांक 25. 06. 2016 को समय 14:45 बजे F. I. R. नं० 0048 के तहत महिला थाना नवाबाद जिला झाँसी में अन्तर्गत धारा 376-D, 506 I. P. C. का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

अतः आप आज दिनांक 20. 12. 2021 को अपराह्न 16:00 बजे तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा उक्त सम्मन किसे प्रदान किया गया और जो सफेदा लगा हुआ है वह किसके द्वारा और कब लगाया गया और यह भी बतायें कि उक्त सम्मन की छायाप्रति अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट को कब और कैसे और कहाँ प्राप्त हुई। यह भी बतायें कि क्या अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने आपके कार्यालय आकर

उक्त सम्मन की फोटो खीची या नहीं। यदि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा उक्त सम्मन की कार्यालय आकर स्वयं फोटो खीची गयी है या अन्य किसी के द्वारा फोटो खीचवायी गयी है तो यह भी स्पष्ट रूप से बतायें। साथ ही आपको यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आपके द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया या छिपाने का प्रयास किया गया तो उसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगी।

भवदीय

  
20.12.2021


( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

संलग्नक:-

तथाकथित सम्मन की छायाप्रति ( 01 ) A।

  
20.12.2021  
20.12.21

प्रेषक ( विमल प्रकाश आर्य )  
 अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
 ( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।  
 सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
 झाँसी ।

विषय : जनपद झाँसी का टाप- 10 अपराधी व अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या निल सन 2021 पर पारित आदेश दिनांक 18. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि जनपद झाँसी का टाप- 10 कुख्यात अपराधी अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने अन्तरण प्रार्थनापत्र दिनांकित 16. 12. 2021 में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि पीठासीन अधिकारी उसके प्रति व्यक्तिगत विद्वेष मानते हैं, लेकिन अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीठासीन अधिकारी किस आधार पर उसके प्रति व्यक्तिगत विद्वेष मानते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया और उसका वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और उसका निजीबन्ध पत्र अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने निष्पादित किया जबकि वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए साक्षी मौजूद ही नहीं था और बिना न्यायालय के आदेश के कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने गुन्डयी के बल पर साक्षी का निजीबन्धपत्र भी निष्पादित कर दिया। उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी किया गया तो उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने जवाब में यह कथन किया कि उसने साक्षी का केवल हस्ताक्षर व फोटो ही प्रमाणित किया जबकि न तो साक्षी का फोटो और न ही हस्ताक्षर प्रमाणित है। कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर साक्षी का गैर जमानतीय वारण्ट प्रार्थनापत्र व निजीबन्ध पत्र को मेरे द्वारा शीलकवर लिफाफे में रखवाने का आदेश पारित किया गया।

2. चूँकि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो न्यायालय के अभिलेख को किसी भी समय गायब करा सकता है, इसी कारण उक्त अभिलेख को शीलबन्द लिफाफे में रखे जाने का आदेश पारित किया गया। चूँकि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं होने दिया और न्यायालय के आदेश के बिना ही निजीबन्धपत्र निष्पादित किया और न्यायालय अवधि से पूर्व ही साक्षी को अपने साथ ले गया, अभियुक्त व साक्षी दोनों द्वारा ही अपराध कारित किया गया, इस कारण उक्त कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व साक्षी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

3. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का अंतरण प्रार्थनापत्र में यह कथन कि पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि " जानबूझकर दिनांक 21. 12. 2021 की तिथि नियत की है कि इस तिथि पर वारण्ट जारी

(12/23)

किया जायेगा”। कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का यह कथन सरासर गलत व निराधार है।

4. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने अपने अन्तरण प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके पैरा 06 में यह कथन किया है कि “शपथकर्ता यह कथन करता है कि व्यक्तिगत देष्ट के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा पहला सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है”

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने श्रीमान जी के समक्ष झूठा शपथपत्र दिया है। अतः उसके विरुद्ध निपटाइयित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाए:-

( a ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने सम्मन किस तिथि पर प्राप्त किया, यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है।

( b ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने जो दो जुड़े हुये सम्मन की छायाप्रति शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संलग्न की है, उसमें, उसने यह नहीं बताया है कि उसने उन दोनों जुड़े हुये सम्मनों में से कौन सा सम्मन प्राप्त किया है।

( c ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह भी नहीं बताया है कि जिस सम्मन पर सफेदा लगा हुआ है वह सफेदा उसने किस सम्मन पर लगाया है।

( d ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने यह भी नहीं बताया है कि उसने दोनों जुड़े सम्मनों की छायाप्रतियाँ कब, कहाँ और कैसे प्राप्त की और न ही यह बताया है कि उसने दोनों जुड़े सम्मनों की छायाप्रति कैसे करा लीं।

( e ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट वह मूल सम्मन अविलम्ब प्रस्तुत करे जो उसने प्राप्त किया है।

( f ) कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट यह बताये कि जिस सम्मन के आधार पर उसके द्वारा अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, क्या वह सम्मन मूल की ही छायाप्रति है।

( g ) यदि कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने गैर कानूनी तरीके से बिना सम्मन तामील हुए न्यायालय के किसी भी दस्तावेज की फोटो खीची है, या छायाप्रति करायी है, या किसी अन्य माध्यम से उसे प्राप्त करने का प्रयास किया है तो उसने अपराध कारित किया है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध श्री मान जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध स्वतः नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

5. कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का शपथपत्र के पैरा 4 की 6 वीं लाइन में यह कथन कि “सम्मन उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है” यह कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, काहे का इसका सम्मान और प्रतिष्ठा जो जनपद झाँसी का टाप- 10 अपराधी है वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहा है। इस कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का पुलिस अभिलेखों में जो सम्मान दर्ज है वह इस प्रकार है:-

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध विभिन्न जनपदों व विभिन्न धाराओं में लगभग 58

मुद्रितदर्श में दर्ज है, और जो थाना नवाबाद जनपद झाँसी के टाप 10 अपराधियों की सूची में सुमार है, जो एक गुन्डा, बलात्कारी व सजायाबी अभियुक्त है। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 01 व 02 छायाप्रति) ।

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पत्रांक संख्या 443/ XV दिनांक 23. 02. 2010 के माध्यम से मा० महानिबन्धक महोदय मा० उच्च न्यायालय को अभियुक्त व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा न्यायालय में कोट मोहर्रिंग के साथ मारपीट करने व सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना दी गयी वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 03 व 04 छायाप्रति) ।

:- अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी इसी तिथि पर कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा उनके न्यायालयों में सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दी गयी और यह अपराधी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 05 लगायत 10 छायाप्रति) ।

:- इसी तिथि पर प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भी कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा न्यायालय में सरकारी सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने की सूचना दी गयी यह अपराधी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 11 छायाप्रति) ।

:- In Re Vs Chandra Shekhar Shukla and 6 others in this case the Honble Court held that "An affidavit has been preferred on 09. 09. 2010 by the opposite party tendering unconditional apology , as well as that they will not commit any act in future lowering the dignity and magisry of any court. Besides that is was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite party and to considerable period they remain in jail and now they are bailed out. In these circumstances , we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite party." This order was passed on dated 27. 09. 2010 in Contempt Application ( Criminal) No. 3 of 2010. ( Enclosure no 12 photocopy) ।

चूँकि अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में माफी माँगी और यह कहा कि वह भविष्य में किसी भी न्यायालय की गरिमा व महिमा को कम करने वाला कोई भी कार्य नहीं करेगा उसके बावजूद अभियुक्त का उक्त कत्य अवमानना की श्रेणी में आता है अभियुक्त ने मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त के खिलाफ मा० उच्च न्यायालय को सूचित करने का कष्ट करें कि अभियुक्त ने मा० उच्च न्यायालय में उक्त अवमानना मामले में दाखिल शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है।

:- कुख्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध बार काउन्सिल आफ इन्डिया द्वारा दिनांक

12/95

12/95

14. 03. 2006 को Re: Removal of Proceeding No. 5/ 2005 in matter of Shri Chandra Shekhar Shukla में यह निष्कर्ष दिया गया कि "we have therefore no hesitation to hold that Shri Chandra Shekhar Shukla deliberately filed a false affidavit for the purpose of securing enrolment as advocate. As Chandra Shekhar Shukla secured enrolment as advocate by deliberately misrepresentation of essential fact and also committing fraud upon the Enrolment Committee of the State Bar Counsil of Uttar Pradesh, we, therefore have no hesitation to order removal of the name of Chandra Shekhar Shukla from the rolls of the Bar Counsil of Ittar Pradesh by cancelling the Sanad granted to him "

The enrolment of Shri Chander Shekher shukla as advocate shall stand cancelled and the sanad which was granted to him may be directed to be returned to the Bar Council of Uttar Pradesh. ( Enclosure no 13 photocopy) ।

:- कुछ्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को आप०प्रक०क्र० 815/ 2006 संस्थापित दिनांक 26. 09. 2005 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म० प्र०) बनाम संतराम उर्फ संतू पाल एवं दस अन्य जिनमें क्रम संख्या 11 पर अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला पुत्र के०बी० शुक्ला उम्र 50 वर्ष निवासी सिविल लाईन झाँसी में अभियुक्तगणों को धारा 147, 148, 427, 336 I. P. C. में कठोर कारावास व जुर्माना से दण्डित किया गया था और अभियुक्त चन्द्रशेखर एडवोकेट अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करता है। ( संलग्नक सं० 14 छायाप्रति) ।

:- कुछ्यात अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के बावत नियम 111 के तहत विधान परिषद उ०प्र० में भी यह मामला उठा था जिसका संक्षेप में सार इस प्रकार है:-

"दिनांक 23. 07. 2004 को पुलिस प्रशासन झाँसी द्वारा जारी की गयी अपराधियों की सूची के शीर्ष क्रमों में श्री चन्द्र शेखर शुक्ल का नाम दिया गया था। श्री शुक्ल इससे पूर्व महोबा के हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे हैं तथा महोबा में उनकी हिस्ट्री शीट सं० 33A थी। महोबा में उनकी बढ़ती हुई अत्यधिक आपराधिक गतिविधियों के फलस्वरूप उनको जिला महोबा से जिला बदर कर दिया गया था। इसके पश्चात ये झाँसी आकर अपराध की दुनिया में लिप्त हो गये तथा झाँसी में उनकी हिस्ट्रीशीट खुल गयी है, जिसका नं० 27 है।

झाँसी में इनके उपर लगभग 40 मुकदमें चल रहे हैं जिनमें कोआपरेटिब बैंक के पीछे श्रीमती मीरा गुप्ता के मकान पर कब्जा करने का प्रयास, अपराध करने हेतु गाड़ी में नीली बत्ती लगवाकर घूमने, फर्जी पते देकर रिवाल्वर व राईफल के लाईसेन्स प्राप्त करने, बिना मानचित्र पास कराये भवन का निर्माण कराना, अनेक भवनों/ भूखण्डों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी के साथ अभद्रता करना आदि शामिल है। दि० 05. 07. 2004 को प्रमुख सचिव ग्रह को पत्र लिख कर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

12/26

द्वारा किये जा रहे तमाम आपराधिक कार्यों की जाँच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने की माँग की थी।  
( संलग्नक सं० 15 छायाप्रति ) ।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का जमानत प्रार्थनापत्र सं० 236/ 2010 जनपद न्यायालय झाँसी से

दिनांक 29. 03. 2010 को खारिज हुआ था । ( संलग्नक सं० 16 छायाप्रति ) ।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानात्तरित होने का कोई औचित्य ही नहीं है ।

:- मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में अवगत कराया गया था कि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट जिन मामलों में या तो स्वयं अभियुक्त है या वह अभियुक्त का अधिवक्ता है, या रहा है, उसने संभवतया उन पत्रावलियों में से या तो कोई दस्तावेज निकाला हो या फिर पूरी की पूरी पत्रावलियों को ही गायब करा दिया होगा और संभवतया कुछ पत्रावलियों या दस्तावेज को पुनर्गठित करने की कार्यवाही भी चल रही होगी ।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा इस प्रकार का झूठा प्रार्थनापत्र क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा पूर्व के पत्र में बताया गया था ।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा जब श्रीमान महोदया के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, महोदया को उसी समय अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का सम्मन अवलोकन करना चाहिये था और यदि अभियुक्त मूल सम्मन दिखा पाने में असफल होता तो उसके विरुद्ध झूठा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र व शपथपत्र दाखिल करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी जोकि महोदया द्वारा नहीं की गयी और न ही अभियुक्त से यह पूछा गया कि उसके पास उक्त जुड़ा हुआ सम्मन कैसे प्राप्त हुआ और उसने छायाप्रति कहां से करायी और जो सफेदा लगा हुआ दर्शित हो रहा है वह किन कारणों से लगा हुआ है, और न ही महोदया द्वारा अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट से यह पूछा गया कि उसने जो सम्मन प्राप्त किया है, उन दोनों जुड़े सम्मन में से कौन सा सम्मन उसने प्राप्त किया ।

श्री प्रमोद शिवहरे एडवोकेट द्वारा दिनांक 03. 12. 2021 को झाँसी क्लब झाँसी में दिये गये अशोभनीय भाषण के बावत मेरे द्वारा माननीय महोदया को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा चुका है ।

यद्यपि मेरे द्वारा पूर्व में इस तथ्य को अवगत कराया जा चुका है कि जो सम्मन की छायाप्रति मुझे स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित की गयी थी वह मूल की छायाप्रति नहीं है । किन्तु महोदया द्वारा मेरे उक्त कथनों पर संज्ञान ही नहीं लिया गया और अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे उसे बल मिल रहा है जिससे वह आगे भी कोई अन्य अपराध मेरे प्रति कारित कर सकता है । पुनः मुझे जो छायाप्रति प्रदान की गयी, वह मूल की छायाप्रति नहीं है ।

:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना मामले में दाखिल शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है । अतः अभियुक्त/ शिकायतकर्ता चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध संबंधित पत्रावली में अवमानना की कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र प्रेषित किया जा रहा है । उक्त आख्या की एक प्रति मय संलग्नक की छायाप्रति सहित संबंधित पत्रावली में रखा जाये ।

:- श्रीमान महोदया से निवेदन है कि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा गलत व झूठा अन्तरण

10/27

प्राधीनापत्र मय शपथपत्र परस्तूत करने व Contempt Application (Criminal) No 3 of 2010. In Re Vs Chandra Shekhar Shukla and 6 others मे दागिन शपथपत्र की शर्तों का नल्लधन करने पर अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही करने की कृपा करे व माननीय उच्च न्यायालय को इस संबंध मै अवगत कराने की कृपा करे। ( संलग्नक सं-12 छायाप्रति ) ।

भवदीय

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झारखंड।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

संलग्नक

1. खुशनुमा कनिष्ठ लिपिक द्वारा दी गयी आख्या की छायाप्रति ( 1 ) ।

कुल संलग्नक ( 36 )

₹ ८०.०० । पट्टे

नोट: दिनांक 22. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

12/28

सेवा में

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.) इांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

विषय:- नोटिस बावत प्रकीर्ण अपील सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध जारी सम्मन के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थिया ने जो सम्मन जारी किया है चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध उसमें कोई सफेदा नहीं लगा है और उक्त जारी किये गये सम्मन में मुकदमा न० और धारा एवं थाने का उल्लेख किया गया है ।

उक्त सम्मन को नवाबाद पैरोकार को दिनांक 01. 12. 2021 प्राप्त कराया गया जिसका विवरण सम्मन जारी करने वाले रजिस्टर में अंकित भी है ।

दूसरा सम्मन जो सफेदा लगा हुआ है उसकी प्रार्थिया को कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई सम्मन कार्यालय से जारी किया गया जहां सम्मन पर सफेदा लगा हुआ है वहां कार्यालय लिपिक द्वारा prepared and check by me लिखा जाता है ।

प्रार्थिया की उपस्थिति में न तो चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने ना ही उनके द्वारा किसी ने कार्यालय में आकर कोई पत्रावली देखी न ही कोई फोटो खीची अगर प्रार्थिया की अनुपस्थिति में किसी ने कार्यालय में आकर फोटो खीची हो तो इसका प्रार्थिया को संज्ञान नहीं है ।

प्रार्थिया द्वारा जो भी सही तथ्य एवं जानकारी थी वह सारे तथ्य एवं जानकारी श्रीमान जी को बता दी गयी है कोई भी तथ्य एवं जानकारी छिपायी नहीं गयी आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

प्रार्थिया

*खुशनुमा*

( खुशनुमा )

( सहायक लिपिक )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.) इांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

नवां अंतीम

दिनांक - २२-१२-२०२१

समय ०३. ३० पी०एम०

पत्रावली ०३. ३० बजे पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई।

कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि अभी तक सम्बन्धित न्यायालय से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदकमण्डी की ओर से यह कहा गया है कि उनके विरुद्ध व्यक्तिगत देष के कारण बतौर अभियुक्त एक सम्मन भेजा गया है जिसमें मुकदमा नम्बर, धारा या थाना अंकित नहीं है। आवेदकमण्डी की ओर से शपथपत्र सहित उक्त सम्मन की फोटोप्रति प्रस्तुत है, जो कागज संख्या-५बी है।

इन परिस्थितियों में यह आदेश किया जाता है कि सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय से तलब हो और मेरे समक्ष दिनांक २३-१२-२०२१ को प्रस्तुत हो।



Copy or order forwarded to... ADJ F.R. 14<sup>th</sup> F.C.  
for information & Necessary Action

उमीद-८

(जगत्सना शर्मा)

सत्र न्यायाधीश,

झाँसी।

By Order

*[Signature]* २२.१२.२०२१

Sadar Munsarim/Sessions Clerk

Sessions Judge

Jhansi (U.P.)

२२.१२.२०२१  
प्राप्ति दिनी विविध कामों

बी.एस. स्क्रिप्ट बालौ नुगाल

कर्ता।

२२.१२.२०२१

प्रिय दोस्तों करी  
मैंने यह विवाहित  
लिखकर दें आपका अप्रत्यक्ष बहु लिखा।  
प्रिय दोस्तों विवाहित  
प्रिय

प्रियद्वय जहाँ दिल्ली दूर दूर दूर दूर दूर दूर दूर दूर दूर  
जहाँ दूर दूर

प्रियद्वय  
जहाँ दूर  
जहाँ दूर दूर

प्रिय दोस्तों विवाहित

प्राप्ति  
~~प्रिय~~  
प्रिय दोस्तों विवाहित  
प्रिय दोस्तों विवाहित  
प्रिय दोस्तों विवाहित

दिन-22 अ. 2021

दिन-22 अ. 2021 की शारीर की साक्षी ने प्राप्ति लिखाया था।

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झौसी


विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-  
महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रुष्ट होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसका क्रिमिनल-428/2021 है जो एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि से सम्बन्धित पत्रावली में मुझे अभियुक्त के रूप में सम्मन भेजा गया है जबकि प्रार्थी एस०टी०न०- 169/2017 में सरकार गवाह है और उसमें दिनांक-24.12.2021 (आज की तिथि) अकिञ्चित है मुझे यह सम्मन रात्रि में थाना रक्सा की पुलिस द्वारा दिया गया है जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर घड़यंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं और मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सम्मन के सम्मान में मैं श्रीमान जी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय में मुझे उपस्थित होने में खतरा है एस०टी०न०- 169/2017 सरकार बनाम अमान आदि पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-४ में महोदया के आदेशानुसार अन्तरित की जा चुकी है इसके पूर्व भी मेरे द्वारा माननीय महोदया को श्री विमल प्रकाश आर्य की कई शिकायतें की जा चुकी हैं।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त पत्रावली मंगाकर प्रार्थी के हस्ताक्षर कराने और जो भी विधि अनुसार कार्यवाही हो कराने की कृपा करें।

दिनांक-24.12.2021

Signature in द्वारा दिए गए प्रार्थी



C. S. Shukla  
Adv.

दारा सिंह पुत्र श्री बृंदावन सिंह  
निवासी ग्राम पुनावलीकला थाना  
रक्सा जिला झौसी उ०प्र०।

### Order

Seen, Call for comments from concerned judicial officer within 03 days.

फिल मिठ्ठान - ५२८/२०५  
सूक्ष्म वनाचार सेट  
(श्रीमति - १६९१३०७  
सूक्ष्म वनाचार सेट  
(आई सी एम बैची)

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय NDJ FTC । पर्म F.C. Jhanvi

नाम दाराशेंद्र प्रत वृद्धपन सिंह निषासी  
व्हान पुन्नपलीकला भाना २४४, झासी

चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त.....  
देने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष  
दिनांक 24.12.21 को सुबह 10 बजे

उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30.11.21 को दिनांकित

checked  
by me  
K



30.11.2021  
हस्ताक्षर  
निवास निवास निवास निवास (एफ०टी०सी०)  
मुख्यमंत्री निवास निवास निवास (एफ०टी०सी०)  
(चाहूदी दिनांक जारी की तहत गठित), झासी

प्रेषक

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

: अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 24. 12. 2021 पर पारित आदेश दिनांकित 01. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया


सादर अवगत कराना है कि S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानांतरित हो चुकी है। अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा उक्त मामले में बतौर साक्षी वारन्ट रिकाल प्रार्थनापत्र मय निजीबन्ध पत्र दाखिल किया। दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह पुकार के समय न तो उपस्थित रहा और न ही दुष्ट अभियुक्त न्यायालय कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहा। दुष्ट शिकायतकर्ता व अभियुक्त दारा सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र सं० 411 सन 2021 दारा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अमान में मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 24. 11. 2021 में यह उल्लिखित किया था कि "मैं इस प्रार्थनापत्र के बावत अपनी टिप्पणी/ आख्या पुनः प्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को अपने विश्राम कक्ष में तलब कर सत्यता ज्ञात करने का कष्ट करें जिसमें मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित हों तथा मेरे न्यायालय के कार्यरत कर्मचारियों से भी इस बावत पूछताछ कर जाँच करने का कष्ट करें और इस तरह झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों व उनके अधिवक्ता के विरुद्ध अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।"

अत्यन्त कष्ट के साथ अवगत कराना है कि श्रीमान महोदया द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसी कारण ऐसे तुच्छ, दुष्ट, नीच अभियुक्त दारा सिंह का मनोबल इस तरह की झूठी शिकायत करने का मनोबल बढ़ रहा है और उसकी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः पुनः महोदया से निवेदन है कि मेरे पत्र दिनांकित 24. 11. 2021 के प्रकाश में निष्पक्ष जाँच मेरी व कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में जाँच शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें।

भवदीय

  
०३.०१.२०२२

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोट: दिनांक 03. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

प्रेषक	( विमल प्रकाश आर्य)
	अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झासी ।
	( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
सेवा मे	श्रीमान जनपद न्यायाधीश
	झासी ।
विषय	:अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 24. 12. 2021 पर पारित आदेश दिनांकित 01. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।
महोदया	

सादर अवगत कराना है कि S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि की पत्रावली मेरे न्यायालय से स्थानांतरित हो चुकी है। अभियुक्त व दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह द्वारा उक्त मामले में बतौर साक्षी वारन्ट रिकाल प्रार्थनापत्र मय निजीबन्ध पत्र दाखिल किया। दुष्ट शिकायतकर्ता दारा सिंह पुकार के समय न तो उपस्थित रहा और न ही दुष्ट अभियुक्त न्यायालय कार्यावधि के दौरान उपस्थित रहा। दुष्ट शिकायतकर्ता व अभियुक्त दारा सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र सं० 411 सन 2021 दारा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अमान मे मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 24. 11. 2021 में यह उल्लिखित किया था कि " मैं इस प्रार्थनापत्र के बावत अपनी टिप्पणी/ आख्या पुनः प्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को अपने विश्राम कक्ष में तलब करने सत्यता झात करने का कष्ट करें जिसमें मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित हों तथा मेरे न्यायालय के कार्यरत कर्मचारियों से भी इस बावत पूछताछ कर जाँच करने का कष्ट करें और इस तरह द्यूरी शिकायत करने वाले व्यक्तियों व उनके अधिवक्ता के विरुद्ध अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।"

अत्यन्त कष्ट के साथ अवगत कराना है कि श्रीमान महोदया द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसी कारण ऐसे तुच्छ, दुष्ट, नीच अभियुक्त दारा सिंह का मनोबल इस तरह की द्यूरी शिकायत करने का मनोबल बढ़ रहा है और उसकी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः पुनः महोदया से निवेदन है कि मेरे पत्र दिनांकित 24. 11. 2021 के प्रकाश में निष्क्रिय जाँच मेरी व कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में जाँच शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें।

भवदीय

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झासी ।

( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोट: दिनांक 03. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवाही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

दिनांक: 03. 01. 2022

F  
05/01/2022  
Recd  
01-01-25 PM  
3

05/C.A.I.T. No. 06.01.2022 [Contd.]

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झॉसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से महोदया,  
विषि विस्तृद्व प्रत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से जांच/कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-

विनभ्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रुष्ट होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसका क्रियमित्रो-428/2021 है जो एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि से सम्बन्धित पत्रावली में मुझे अभियुक्त के रूप में सम्मन देजा गया है जबकि प्रार्थी एस०टी०न०- 169/2017 में द्वारी की ओर से अधिवक्ता है और उसमें दिनांक-24.12.2021 की तिथि में द्वारा दिनांक-24.12.2021 को एक आदेश पारित किया गया था परित आदेश के क्रम में अपर महोदया, द्वारा दिनांक-24.12.2021 को एक आदेश पारित किया गया था परित आदेश के क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा मेरे विस्तृद्व कोई जांच की जा रही है और मुझे तरह तरह से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये विवश कर रहे हैं मैं उस न्यायालय में जाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ मुझे यह भी आशंका है कि श्री विमल प्रकाश आर्य मेरे विपक्षियों से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं मेरे द्वारा उनके विस्तृद्व कई शिकायतें की गई हैं उन्हें नियमतः मेरे विस्तृद्व जांच करने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे व मेरे परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मदारी श्री विमल प्रकाश आर्य की होगी मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा की जा रही जांच में दिनांक-06.01.2022 तिथि नियत की गई है।

अतः महोदया, से प्रार्थना है कि मेरे विस्तृद्व जो भी जांच उनके द्वारा की जा रही हो वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से कराने की कृपा करें।

दिनांक-05.01.2022

भवदीय

05/01/22  
Chandreshwar Shukla

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

Order

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पांजुड झॉसी

Seen, Call for comments from concerned judicial officer within 07 days

प्रेषक

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

: अभियुक्त व कुख्यात अपराधी चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 01. 2022 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06. 01. 2022 के सम्बन्ध में आख्या R

महोदया

सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट एक कुख्यात , जिला बद्र, दोषसिद्ध व कुख्यात आपराधिक इतिहास वाला अभियुक्त है जिसके उपर स्वयं लगभग 58 मुकद्दमे पंजीकृत हैं ।

अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त होने के आधार पर उसने झूठा व कपोल - कल्पित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है । अभियुक्त ने जो भी आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है , पूर्णतया असत्य व निराधार है ।

मेरे द्वारा जो भी कार्य , नोटिस या सम्मन आदि जारी किया जा रहा है , विधि अनुसार ही जारी किया जा रहा है ।

अभियुक्त के इस तरह या पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों से मुझे यह पूर्ण विधास है कि अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त है और अभियुक्त स्वयं या किसी के द्वारा मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित करा सकता है , यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उक्त अभियुक्त के साथ - साथ वह समस्त व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे जिन्होंने मेरे उपर दबाव डालने के लिए गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

०१.१.२०२२

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 07. 01. 2022

नोट: दिनांक 07. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

^

प्रेषक

(शिक्षा प्रार्थना प्रत्र)

भारत सरकारी विद्यालय एवं बोर्ड

(शौद्धता विभाग ने क्रमान्वय के रूप में।

सेवा में

धीमान लक्षणपाल न्यायाधीश

झाँसी।

विषय

अभियुक्त व कुर्खात आरामी लन्द्रोखर शूक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.01.2022 पर धीमान जी द्वारा पारित भारेण दिनांक 06.01.2022 के माध्यम से आख्या र

महोदया

सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर शूक्ला एडवोकेट एक कुर्खात, जिला बदर, दोषसिद्ध व कुख्यात आपराधिक इतिहास वाला अभियुक्त है जिसके उपर स्वयं लगभग 58 मुकदमे पंजीकृत हैं।

अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त होने के आधार पर उसने द्वारा व कपोल- कल्पित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त ने जो भी आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, पूर्णतया असत्य व निराधार है।

मेरे द्वारा जो भी कार्य, नोटिस या सम्मन आदि जारी किया जा रहा है, विधि अनुसार ही जारी किया जा रहा है।

अभियुक्त के इस तरह या पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त है और अभियुक्त स्वयं या किसी के द्वारा मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित करा सकता है, यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उक्त अभियुक्त के साथ- साथ वह समस्त व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे जिन्होंने मेरे उपर दबाव डालने के लिए गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक: 07. 01. 2022

The officer to whom details of any judicial proceeding or otherwise being conducted against the applicant person(s) has been made available by me in connection with my inquiry in respect to the undersigned  
is sealed to the said officer  
and to be delivered to him  
within one day of receipt of this letter.

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी।

(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्रतिलिपि A.P.T.C.  
(14 F.C.)  
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन  
हेतु प्रेषित। अज्ञा से

५. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
जिला न्यायालय, झाँसी  
१०.०१.२०२२

विश्राम कक्षः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) ,झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक: 07. 01. 2022

नोटिस

बनाम

श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट

CJM कम्पाउन्ड झाँसी ।

विषय :फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला की पत्रावली में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को कूटरचित तरीके से शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व सम्मनों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

आपके द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनांक 01. 12. 2021 को जो झूठी शिकायत मय शपथपत्र व मय दो किता जुड़वा सम्मन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की थी । आपकी उक्त शिकायत से यह ज्ञात होता है कि आपके पास शिकायत करने की तिथि पर उक्त दोनों सम्मन मूल रूप से थे जिसके आधार पर आपके द्वारा झूठी व फर्जी शिकायत की गयी थी, और आपने उक्त दोनों जुड़वा सम्मन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सुनवाई के समय दिखाये भी होंगे और बिना जुड़वा सम्मन , अवलोकन के मुझसे आख्या माँगे जाने का आधार ही नहीं है ।

दिनांक 23. 12. 2021 को आपको जो सम्मन तामील हुआ वह स्कल्टन पत्रावली पर संलग्न है । आपके शिकायती प्रार्थनापत्र के अनुसार आपके पास कुल तीन ( 03) किता सम्मन होने चाहिए जिसमें से दो जुड़वा सम्मन जिसमें एक पर सफेदा लगा हुआ है और एक वह जो दिनांक 23. 12. 2021 को आप पर बजातखास तामील हुआ ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 11. 01. 2022 को समय अपरान्ह 13:00 बजे तक उक्त तीनों मूल सम्मन के बावत अपनी आख्या मय शपथपत्र प्रस्तुत करें कि शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न जुड़वा सम्मन आपको किस तिथि पर प्राप्त हुआ यदि आप नियत तिथि व समय पर आदेश का अनुपालन

प्रेषक

प्रमाण प्रकाश  
प्रमाण ज्ञान  
F.T.C. ऑर्गेनिसेशन

विरुद्ध के विफल रहते हैं तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कूटरचित तरीके से फर्जी शिकायत मय शपथपत्र भरना, व  
वृहत्तर के जुड़वा सम्मन की घायापतिगा आपने पारा रखने पर पाण्य सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी साथ की  
इस बदले की सूचना शीघ्रता जनपद न्यायाधीश मुहोदया के पाण्यम से माननीय उच्च न्यायालय को नियत तिथि  
पर अप्रैल विरुद्ध उचित कायावाही हेतु प्रेषित कर दी जाएगी।

दिनांक: 01. 01. 2022

१०.१.२०२२  
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झासी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्राप्तोन्मेय:

झासी जनपद न्यायाधीश मुहोदया को इस आशय से प्रेषित की शिकायतकर्ता, कुख्यात अभियुक्त, दोषसिद्ध व  
जिला बद्र विद्यान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के विरुद्ध उनके समक्ष गलत, फर्जी व कूटरचित तरीके से  
दस्तावेज मय शपथपत्र तैयार कर प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध स्वयं नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा  
करें तथा कुख्यात अभियुक्त के उक्त कृत्य की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिये जाने की कृपा करें।

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झासी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

मूल प्रति प्राप्त की.

लादर भवान करा है।  
किं शपथ-पत्र मेरे हाथ।

माठ जनपद न्यायाधीश-फोटो।

मेरे न्यायाधीश मेरा गपा है।  
मिलकी जाँच इसे भार अधिकारी। न्यायाधीश महोदय  
भार नी जा नही है। मेरी ज्ञानी विज्ञान है। आप  
मुझे आजके दृष्टि भावे के भार अपना है।

मेरे किछी है भी छपन कर सकते हैं।  
या है। आ दी भार न्यायाधीशों नही आप है।

विषय वक्त ने लुप्त कर जी भी दृष्टि नही करा है।

करले अन्यतम भी इस सम जनपद न्यायाधीश  
कुर्सित वर किया जा रहा है जो भी उनका भार है।

हांगा भार किया जाना भी अपने भी भी उनका भार है।

नही। भार न्यायाधीश के निकाल आपको उनके समीक्षा भार है।

१०.१.२०२२

झासी नी भाज १०.१.२२  
को जबकी परिसर में पहुँचकर  
पहुँचे रह भुजला गो एवं भिल  
नोटिस लेकर हस्ताक्षर किए  
और अपनी रहरीर आंगिरी  
रिपोर्ट सेवा में भेजिए।  
दिन १०.१.२२ को वस्तुन ताद  
ने भार लगाकर वह लगाकर  
मिला कि उस लगी किमी  
सठी वल्लभ है।

१०.१.२२  
P.C.M.

प्राप्ति

३८  
१

प्रेषणः

प्रेषणः - विमल प्रकाश शर्मा

आम निलाला दूषित करने वाला विहारी

PTC अधिकारी (गोदावरी विहार आवासीय संस्था)  
(प्रबन्ध अधिकारी)

SA - प्रदेशीय श्री कला दूषण केस

प्रियोग विवरण नं ५०/३८

प्रियोग विवरण नं ५०/३८

श्रीमान्

आज दिनांक १३/१/२२ को सुबह १०:३० बजे श्री प्रदेशीय श्रीकाळा (कृष्णेश) के बस्ते एवं पड़ोने। वह उस समय पर्याप्त नहीं गिने। खाड़ी पुरानी भै-राम गामांड, झाँसी पड़ोने कर्त्तव्य विहार श्रीकाळा, जो ललाट निवास। मैंने एवं प्रदेशीय श्रीकाळा भी प्रदेशीय श्रीकाळा जी को निवास (लिङ्गाम) के बारे में बताएं, दूल कप भी बातिक।

प्रियोग विवरण में आदर्श प्रक्रिया है

मन्त्रीजी  
(P.S.)

प्रदेशीय श्रीकाळा  
लिङ्गाम भै-राम, झाँसी

REC  
28/1/22  
13-40-PM

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झौसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रेषित नोटिस दिनोंकित 07.01.2022 के सम्बन्ध में :-

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि फौजदारी के प्रकाण वाद संख्या-429/2021 बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला की पत्रावली के सम्बन्ध मुझे दिनोंक-10.01.2022 को पुनः एक नोटिस प्रेषित किया गया है जिसकी छाया प्रति और मेरे द्वारा नोटिस पर अकिंत टिप्पणी जो श्री आर्य को प्रेषित की है साथ में संलग्न है उनके द्वारा आय दिन नोटिस भेजा जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है जब मामला महोदया के संज्ञान में है और एक न्यायाधीश महोदय को जांच सौंपी गयी है तो श्री आर्य को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है उनके द्वारा नोटिस में अभद्र एवं अशिष्ट और प्रतिष्ठा को धूमिल करने हेतु फर्जी उल्लेख किया है जिसकी भी जांच होना आवश्यक है अगर उनके द्वारा उल्लेख किये गये विवरण असत्य है तो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये और अगर मेरे द्वारा कोई भी असत्य शपथपत्र या कूट रचित कागज तैयार किया गया है तो मेरे विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते अगर उनके विरुद्ध कोई शिकायत की गई है तो उन्हे स्वयं अपनी शिकायत की जांच नहीं करना चाहिये मेरी उनसे रजिंश है इस सम्बन्ध में पूर्व में भी महोदया को अवगत करा चुका हूँ उक्त प्रकरण में अन्तरण की कार्यवाही भी प्रचलित है जिसमें दिनोंक-28.01.2022 तिथि नियत है।

अतः महोदया से प्रार्थना है कि न्यायहित में न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनोंक-11.01.2022

भवदीप्

20/01/2022

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाऊड झौसी

A.P.T./F.T.  
(14 F. 1)  
प्रतिलिपि.....  
.....  
सूचनार्थ एवं आदर्शक अनुपालन  
हेतु प्रेषित।

द्वारा से

प्रेषक ( विमल प्रकाश आर्य )  
अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झाँसी ।

विषय : अभियुक्त व कुख्यात अपराधी चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के प्रार्थनापत्र दिनांकित  
11. 01. 2022 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27. 01. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त ने स्वयं के पास एक अदद जुड़वा सम्मन होने के आधार पर दूरी व फर्जी शिकायत की है। एक अदद जुड़वा सम्मन में एक पर सफेदा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। अभियुक्त को आदेशित किया गया है कि वह न्यायालय के समक्ष उक्त मूल सम्मन प्रस्तुत करे जिससे इस बाबत उचित कार्यवाही की जा सके।

किसी भी अभियुक्त के पास दो किता जुड़वा सम्मन होने का कोई भी पर्याप्त आधार हो ही नहीं सकता।

अवगत कराना है कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है कि न्यायालय के नोटिस से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। जिस अभियुक्त पर लगभग 58 मुकद्दमें चल रहे हैं, जो दोषसिद्ध हैं, जिसे जिला बदर किया जा चुका है, जिस पर बलात्कार का आरोप हो, जिस पर सरकारी सम्पत्ति पर कब्जे करने के आरोप हों, वह अपनी प्रतिष्ठा की बात करता है। काहे की प्रतिष्ठा, खाक प्रतिष्ठा।

अभियुक्त पर एक किता जुड़वा सम्मन जिसमें एक पर सफेदा लगा हुआ है ( जिसकी छायाप्रति मुझे जवाब देने के लिए प्रदान की गयी है) कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी क्योंकि ऐसा कोई सम्मन कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार जारी ही नहीं हुआ है।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

27.01.2022  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

नोट: दिनांक 28. 01. 2022 को कार्यालय की डाकवाही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

दारा - १७५, १२९, १७७, १८६ ID  
क्र. नं. ३००८ - ५२९ | २०२१

4B

## अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ADJ FTC । ४<sup>th</sup> Feb. Jhansi

नाम - पन्डित शंखर शुक्ला (एवोकेंट)  
शहर गोपनीय काम्पाइल (डॉसी)

चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

देने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष

दिनांक २५.१२.२१ को सुबह १०

बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

checked  
by  
PK

आज दिनांक ३०.११.२१ को दिनांकित



३०.११.२०२१  
गोपनीय

१११२  
१११२

12/34

copy recd.

(RHM)  
23/12/2021

रिपोर्ट यानवर बाबू पात्र

अधीक्षा

मिर्दप है कि अल्लामा थे लालील  
उस शास्त्री नारा शास्त्र मेल्लाम्भजपा  
समाज से अद्वितीय एवं उत्कृष्ट  
ठुरठे बघाट खाल लालील छरुमा  
व दासा बनवाये गये।

रिपोर्ट यानवर बाबू पात्र

का. प्रधान सहि

यानवर बाबू

23/12/21 प्राप्ति



12/35